महत्वपूर्ण एवं खास

भैंस से टकरा बस के पलटने से मासूम की मौत, छह यात्री घायल

कोरबा (आरएनएस)। पटना से कोरबा आ रही राजहंस की बस एक भैंस से टकरा कर पलट गई। घटना में डेढ़ वर्षीय मासूम बच्ची की मौत हो गई। जबकि आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिले के कटघोरा-अंबिकापुर नेशनल हाइवे में रविवार की सुबह 5.30 बजे मोरगा के पास हुई घटना से बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। राजहंस कंपनी की बस क्रमांक सीजी 15 एबी 0706 पटना से कोरबा आ रही थी। मोरगा के पास एक भैस से बस टकरा गई और चालक से वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना में दीपक ठक्कर, गिरी देवी, अरुण कुमार व धीरज सिंह को गंभीर चोट आई है, जबकि कुछ यात्रियों को मामूली चोट लगी। वहीं डेढ़ साल की एक मासूम बच्ची उमे अदीबा पिता अब्दुल वाहिद निवासी पता लाबौरगढ़ थाना कुडू जिला लोहरदगा झारखंड की स्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही संजीवनी एक्सप्रेस व डायल 112 पुलिस टीम स्थल पर पहुंची और घायलों को बस से बाहर निकाल कर उपचार के लिए अस्पताल भेजा। घटना की जानकारी मिलते ही मोरगा पुलिस भी मौके पर पहुंची और वैधानिक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि सभी घायल झारखंड निवासी हैं और उनकी स्थिति सामान्य है।

कुत्ते के काटने से 6 ग्रामीण घायल, ग्रामीणों ने कुत्ते को पीट-पीटकर मार डाला

जगदलपुर (आरएनएस)। जिले के तोकापाल ब्लाक के ग्राम छापरभानपुरी में सोमवार की सुबह कुछ बुजुर्ग घर के बाहर धूप में बैठे हुए थे। इसी दौरान एक कुत्ता बुजुर्ग माड़ा उम्र 60 वर्ष पर पीछे से हमला कर दिया। इसके बाद महिला सुबली के पैर और हरिराम के हाथ में काटकर भाग गया। इसके बाद जगजीत को पैर में काटकर पास बैठी उसकी डोमनी पर हमला कर दिया। यह देखकर वहां मौजूद युवक ने किसी तरह डंडे से कुत्ते को मारकर वहां से भगाया। कुत्ता भागा तो उसने कुछ दूर खड़ी महिला हरबती को काट लिया। इनके अलावा गांव के अंदर ही बंधी गाय और एक बच्चे पर भी हमला कर दिया। कुत्ते के इस तरह काटने की जानकारी थोड़ी ही देर में गांव में फैल गई। इसके बाद ग्रामीण भड़क गए और घरों से डंडा व कुल्हाड़ी लेकर कुत्ते को तलाश करने निकल पड़े। कुछ देर तलाश करने के बाद जैसे ही कुत्ता दिखाई दिया ग्रामीणों ने उसे पीटकर मार डाला। इसके बाद ग्रामीणों ने 108 को इसकी सूचना दी, जिसके माध्यम से कुछ घायलों को एंबुलेंस से लोहड़ीगुड़ा के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जबकि कुछ घायल अपने वाहन से मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे, जहां उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया।

मां दंतेश्वरी मंदिर से शुरू हुई सर्व आदिवासी समाज की पदयात्रा

दंतेवाड़ा (आरएनएस)। सर्व आदिवासी समाज ने 32 प्रतिशत आरक्षण को लेकर बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के मंदिर से यह पदयात्रा निकाली गई है। पदयात्रा 13 फरवरी को रायपुर पहुंचेगी यहां सर्व आदिवासी समाज द्वारा राजभवन का घेराव किया जाएगा। आदिवासी नेताओं का कहना है कि महामहिम राज्यपाल का लगभग दो माह से इस बिल पर हस्ताक्षर होना लंबित है। जैसे-जैसे यह पदयात्रा आगे बढ़ेगी सर्व आदिवासी समाज के लोग इनसे जुड़ते जाएंगे और बड़ी संख्या में लोग राजधानी रायपुर पहुंचकर राज भवन का घेराव करेंगे। छग राज्य अजजा आयोग के सदस्य गणेश सिंह धुरव ने बताया कि आरक्षण बिल में राज्यपाल का हस्ताक्षर दो माह से लंबित है, इस वजह से सर्व आदिवासी समाज उनका घेराव करने रायपुर जा रहा है। इस पदयात्रा में प्रमुख रूप से राजकुमार तामो, सुरेश कर्मा व अन्य लोग शामिल रहे।

मुख्यमंत्री ने अवैध निर्माण के नियमितिकरण के प्रकरणों के निराकरण में विलंब पर जताई गहरी नाराजगी

- कलेक्टरों को प्राथमिकता के साथ प्रकरणों का निराकरण करने के दिए निर्देश
- मुख्यमंत्री ने कहा .जनता को सीधा लाभ पहुँचाने हेतु लाया गया है यह क़ानून: अधिक से अधिक लोगों को मिले लाभ
- मुख्यमंत्री स्वयं अवैध निर्माण के नियमितिकरण के प्रकरणों की करेंगे समीक्षा
- योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सहित नियमितिकरण के लिए लगाए जाएं कैंप

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अवैध निर्माण के नियमितिकरण के प्रकरणों के निराकरण में विलंब पर गहरी नाराजगी प्रकट की है। उन्होंने कलेक्टरों को प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए यह नियम लाया गया है, राज्य सरकार ने लोगों को अवैध निर्माण के नियमितिकरण कराने का मौका दिया है, इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसका जनता के बीच व्यापक प्रचार प्रसार करें। मुख्यमंत्री ने इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से करने के निर्देश देते हुए कहा है कि वे स्वयं प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने अवैध निर्माण के नियश्रीमतीकरण के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने और कैंम्प लगाने के निर्देश दिए हैं। अपर संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार आवासीय एवं गैर आवासीय अनधिकृत निर्माण के नियमितिकरण हेतु छसगढ़ राज्य शासन के द्वारा प्रदेश में 14 जुलाई से छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण संशोधन अधिनियम 2022 एवं नियम 2022 प्रभावशील किया गया था। जिसमें 14 जुलाई तक अस्तित्व में आये आवासीय एवं गैर आवासीय तथा भूमि उपयोग का परिवर्तन कर किये गये, अनधिकृत निर्माण का नियमितिकरण किया जाना है। छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम-64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ अनधिकृत निर्माण के नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक 2022 को 04 जनवरी 2023 को पुर्नस्थापित किया गया। प्रकरण के निराकरण हेतु जिला नियमितिकरण प्राधिकारी का गठन किया गया है। जिसमें कलेक्टर रायपुर को अध्यक्ष एवं सदस्यों में जिला पुलिस अधीक्षक, संबंधित नगरीय निकाय, जिनके क्षेत्र का प्रकरण होगा या आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, संबंधित विकास प्राधिकरण, जिनके क्षेत्र का होगा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के प्रभारी अधिकारी को सदस्य सचिव नियुक्ति किया गया है। इस अधिनियम नियम के तहत अनधिकृत विकास करने वाले व्यक्तियों से निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ 14 जुलाई 2023 तक 01 वर्ष के लिये नियमितिकरण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेगें। इस अवधि में 30 दिन की वृद्धि करने का अधिकार जिला कलेक्टर को दिये गये है। आवेदन पत्र की प्राप्ति हेतु नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायत क्षेत्र में मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा निवेश क्षेत्र के भीतर किन्तु स्थानीय निकाय के बाहर संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय रायपुर अधिकृत किये गये है। नगरीय निकाय क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय निकाय के द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को निर्धारित आवक पंजी में दर्ज कर, स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन, शास्ति की गणना, कर्मकार शुल्क की गणना की जाकर संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के माध्यम से नियमितिकरण प्राधिकारियों की गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर निराकरण किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक रायपुर निवेश क्षेत्रांतर्गत कुल 549 आवेदन प्राप्त किये गय है, जिसमें 396 आवासीय एवं 153 गैर आवासीय प्रकरण है। नियमितिकरण प्राधिकारियों की गठित समिति द्वारा अब तक 2 बैठक संचालित की गई है। कुल प्राप्त आवेदनों में से 35 प्रकरणों में मांग पत्र जारी किये जा चुके है, जिसके अनुसार 10 प्रकरणों में शास्ति राशि प्राप्त होने उपरांत कुल 27 प्रकरणों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार

- उत्तराखंड से लेकर चेन्नई तक ऐसे होती थी सप्लाई

बिलासपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में प्रतिबंधित नशीले सिरप के बड़ी खेप के साथ चार नशे का कारोबार करने वाले पुलिस के हत्थे चढ़े हैं।

आरोपियों से 15 लाख कीमत का करीब साढ़े 8 हजार नग नशीला सिरप (ह्य4ह्म्ह्वश्च) जप्त किया गया है. आरोपी नशीले सिरप को शहर में खपाने के फिराक में थे. गिरफ्तार किए गए आरोपी जांजगीर और बिलासपुर के रहने वाले हैं. आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है.

बड़े बिजनेसमैन भी है इस अवैध कारोबार में शामिल- सिविल लाइन थाने के एक आरक्षक को सूचना मिली थी कि क्षेत्र के महाराणा प्रताप चौक के पास एक युवक नशीला सिरप बेचने के फिराक में घूम रहा है. पुलिस की टीम ने दबिश देकर जांजगीर निवासी युवक महेंद्र साहू को पकड़ लिया. जिसके बाद महेंद्र की निशानदेही पर उसके अन्य साथी सत्यनारायण अग्रवाल, रोशन लाल मिश्रा और राजकुमार केवट के भी नशे के कारोबार में शामिल होने की जानकारी मिली।

15 लाख का अवैध नशीली सिरप जब्त- पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों की निशानदेही पर नशीले सिरप का जखीरा भी जप्त कर लिया गया है. पुलिस ने 15 लाख कीमत का करीब साढ़े 8 हजार नग नशीला सिरप जप्त किया है. गिरफ्तार आरोपियों में तीन आरोपी जांजगीर जिला और एक आरोपी बिलासपुर का रहने वाला है. आरोपी उत्तराखंड से नशीले सिरप का ट्रांसपोर्ट करते थे. आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।

एसएसपी पारुल माथुर ने बताया कि पिछले कई दिनों से नशीली दवाओं को बेचे जाने की सूचना मिल रही थी. इस पर टीम बनाकर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए थे. इस बीच पुलिस को मुखबिर से प्रतिबंधित कफ सिरप की बड़ी खेप आने की सूचना मिली. इस पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ लिया. पूछताछ में पता चला कि 100 कार्टून सिरप मंगाया गया था. जिसमें से एक-एक, दो-दो कर बेचने के लिए उपलब्ध कराई गई थी. यह सभी आरोपी उत्तराखंड से नशीली सिरप लेकर आए थे और छत्तीसगढ़ में चोरी चुपके लोगो को अधिक रुपये में बेच रहे थे. इन आरोपियों के तार चेन्नई से भी जुड़े हुए है. उसकी भी जांच की जा रही है.

सरकारी मिट्टी तेल का अवैध कारोबार,दो हजार लीटर के साथ तीन गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी के टाटीबंध इलाक़े में सरकारी मिट्टी तेल के अवैध कारोबार करने वाले तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने डीजल में मिलावट करने वालों को बेचने के लिए स्टॉक किया गया 2 हजार लीटर नीला मिट्टी तेल जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी भोला साव और संजय साव ने रिंगरोड नंबर 2 स्थित एक यार्ड में दुकान किराये पर लेकर मिटटी तेल का स्टॉक कर रखा था। यहां से वे चोरी छिपे ट्रक चालकों को मिट्टी तेल बेचते थे। इनसे तेल लेकर ट्रक ड्राइवर और आसपास के पेट्रोल पंप वाले अपने डीजल में मिलाते थे। पुलिस ने छपा मार कर इनसे क़रीब 2 हज़ार नीला लीटर मिट्टी तेल ज़ब्त किया है जिसकी कीमत 1 लाख 30 हज़ार रुपए आंकी गई है। दोनों आरोपियों के साथ मिट्टीतेल खरीदकर अपने ट्रक में डाल रहा एक वाहन चालक कारु साव भी मौके पर पकड़ा गया है। पुछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि भोला साव और संजय साव ने केवल यही बताया कि सरकारी सप्लाई के लिए जाने वाले टैंकर चालक वापसी के दौरान टैंकर के तल में बचा हुआ मिटटी तेल उन्हें दे जाते हैं, जिसे स्टॉक करके वे बेचते थे। मगर इनकी बातों पर पुलिस को भरोसा नहीं हो रहा है। पूछताछ में यह भी पता चला है कि दुर्ग का रहने वाला उमेश साव भी मिट्टी तेल का अवैध कारोबार करता है।

प्रदेश में धान खरीदी का आकड़ा 107 लाख मीट्रिक टन से पार

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में 1 नवम्बर 2022 से शुरू हुई धान खरीदी का महाभियान निरंतर जारी है। प्रदेश में धान खरीदी का आंकड़ा अब तक के रिकार्ड बनाते हुए 107 लाख मीट्रिक टन से पार हो गया है। धान खरीदी का कल 31 जनवरी आखरी दिन है। अब तक राज्य के 23.39 लाख किसानों ने धान विक्रय किया है। धान खरीदी के भुगतान के लिए मार्क फेड द्वारा अपैक्स बैंक को 22 हजार करोड़ रूपए जारी कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए निरंतर धान का उठाव जारी है। अब तक कुल धान खरीदी 107 लाख मीट्रिक टन में से लगभग 96 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ जारी किया गया है, जिसके विरूद्ध मिलर्स द्वारा 89 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उठाव किया जा चुका है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 30 जनवरी को 6,905 किसानों से 23 हजार टन से अधिक धान की खरीदी की गई है। ऑनलाइन प्राप्त टोकन के जरिए किसानों से 2 हजार टन धान की खरीदी हुई है। इस साल राज्य में 24.98 लाख किसानों का पंजीयन हुआ है, जिसमें लगभग 2.32 लाख नये किसान शामिल हैं। किसानों को धान विक्रय में सहूलियत हो इस लिहाज से इस वर्ष राज्य में 135 नए उपार्जन केन्द्र शुरू किए गए, जिससे राज्य में धान खरीदी के लिए 2617 उपार्जन केन्द्र हो गया हैं। सामान्य धान 2040 रूपए प्रति क्विंटल तथा ग्रेड-ए धान 2060 रूपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है। इसी तरह राज्य में धान खरीदी की व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सीमावतज़् राज्यों से धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए चेक पोस्ट पर माल वाहकों की चेकिंग की जा रही है।

बचत का पैसा शादी में हुआ खर्च, तो छूटा घर का आस, पीएम आवास से हुआ आशियाना का सपना पूरा

रायगढ़। बांजीपाली बस्ती वार्ड क्रमांक 33 में अपने परिवार के साथ रहने वाली सेवती श्रीवास कहती है कि परिवार में स्वयं एवं पति के साथ दो बेटे और तीन बेटियां है। 7 सदस्यों का पूरा परिवार कच्छे मकान में रहते थे। घर बहुत जर्जर था, जिससे बारिश, ठंड में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उनके पति सैलून का दुकान चलाते है, जो कमाई होता था वो परिवार के गुजर बसर में निकल जाता था। इसके बाद भी उन्होंने कुछ बचत किए लेकिन लड़कियों के शादी योग्य होने से वो पैसे शादी में खर्च हो गये। उनके लिए घर का बनना सपना सा लगने लगा, क्योंकि बचत के पैसे अब पूरे शादी में लग चूके थे, लेकिन पीएम आवास से आज उनका खुद का घर बन गया है।

इसी प्रकार मिट्ठुमुड़ा जूटमिल बस्ती में निवासी शारदा बरेठ बताती है, वे लाण्ड्री का कार्य करते है। जिसमें बड़ी मुश्किल से परिवार का भरण पोषण हो पाता था। पति, पत्नी और बच्चे सभी कच्चे जर्जर मकान में रहते थे। वे बताती है दिक्कते तो बहुत थी, लेकिन बचत नहीं होने से स्वयं के पैसे से घर बनाना काफी मुश्किल था। लेकिन जब आवास योजना की जानकारी प्राप्त हुई तो उन्होंने आवेदन किया, आवेदन के स्वीकृत होने चार किस्तो में पैसे मिलने से आज खुद का पक्का घर मकान बन चुका है।

मिलन दास महंत नगर पालिक निगम रायगढ़ अंतर्गत वार्ड क्रमांक 32 बांजी पालीबस्ती में अपने परिवार के साथ रहते हैं उन्होंने बताया कि वे जुटमिल में सुपरवाईजर के पद पर काम करते थे, चूँकि अब काम बंद हो जाने और उम्र भी ढल जाने के कारण काम नहीं कर पाते और पेंशन के भरोसे ही रहना पड़ता है और बेटी एवं दामाद ही काम करते हैं जिससे परिवार का रोजी-रोटी चल पाता है और इधर उम्र के साथ-साथ उनके कच्चे मकान की हालत भी ढलती जा रही थी और बचत कुछ भी नहीं हो पा रहा था, जिससे पक्के मकान बनाने की चिंता बढ़ती जा रही थी, तभी प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पता चला और नगर पालिक निगम रायगढ़ कार्यालय में जाकर आवेदन जमा किया। स्वीकृति मिलने के बाद कच्चे मकान को तोड़कर पक्का मकान बना। मिलन दास ने बताया कि उनकी सारी चिंता दूर हो गयी है।

13 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म, तीन गिरफ्तार

कोरबा (आरएनएस)। करीब 13 वर्ष की बच्ची के साथ चार आरोपितों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। करीब सात माह पहले यह घटना हुई। आरोपितों ने उसे डरा धमका दिया, इसलिए स्वजनों को कुछ नहीं बताई। इस बीच गर्भवती हो गई और बच्चे के जन्म के बाद यह घटना पुलिस के सामने आई। चार आरोपितों में एक नाबालिग शामिल है। पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपित अभी भी फरार है, उसकी पतासाजी की जा रही है।

यह घटना बाल्को थाना अंतर्गत क्षेत्र की है। बीते वर्ष जून माह में कक्षा सातवीं में पढऩे वाली छात्रा घर लौट रही थी। इस दौरान राजकुमार, दीपक पटेल और अपचारी बालक समेत चार आरोपित उसे बहला फुसला कर नदी किनारे सूने स्थान पर ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किए। आरोपितों ने घटना के बाद बच्ची को डराते धमकाते हुए कहा कि किसी को भी इस बात की जानकारी न दे। वह घर पहुंचने के बाद भी स्वजनों को इसकी जानकारी नहीं दी। इस बीच वह गर्भवती हो गई और इसकी भनक स्वजनों को नहीं लग सकी।

गणतंत्र दिवस के दिन वह स्कूल भी गई थी। वापस लौटने के बाद पेट में दर्द होने की शिकायत स्वजनों से की। उसे अस्पताल ले गए, तो चिकित्सकों ने गर्भवती होने की जानकारी दी। अस्पताल में भर्ती करते ही उसे डिलवरी हो गई। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई।

सामूहिक दुष्कर्म व पास्को एक्ट का मामला दर्ज कर बालिका के निशानदेही पर राजकुमार, दीपक पटेल और अपचारी बालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले का मुख्य आरोपित अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। अभी दो दिन पहले ही हरदीबाजार थाना अंतर्गत रहने वाली एक बच्ची अपनी दो सहेलियों के साथ मेला देखने गई थी। इस दौरान दो युवक उसका मुंह दबाकर घसीटते हुए सूने स्थान पर ले गए और सामूहिक दुष्कर्म किए। हालांकि इस मामले के भी आरोपितों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

दामाद की हत्या करने वाली सास को आजीवन कारावास की सजा

कोरबा (आरएनएस)। कोरबा जिले में आदतन बदमाश अमित सोनी उर्फ किडनी के हत्या करने वाली सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं नाबालिग साली को सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया गया है। बेटी से अलगाव के बावजूद दामाद अमित सोनी आए दिन ससुराल में आकर हंगामा करता रहता था, जिससे घरवाले परेशान थे। इसी से तंग आकर सास कुंती ने उसकी हत्या कर घर के बाहर फेंक दिया था। घटना रामपुर चौकी क्षेत्र की थी। पुलिस ने घटना में मामला दर्ज कर आरोपी सास को गिरफ्तार कर लिया था। उसे

न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। उसका मुकदमा कोर्ट में चल रहा था। अब अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी ज्योति अग्रवाल ने आरोपी सास को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है।

जानकारी के मुताबिक, अटल आवास खरमोरा में 17 दिसंबर 2021 में हत्या की गई थी। 26 वर्षीय अमित सोनी उर्फ किडनी की डंडे से पीट-पीटकर हत्या की गई थी। अमित की लाश उसके ही ससुराल के बाहर पड़ी मिली थी। सूचना पर रामपुर चौकी पुलिस ने सास कुंती सोनी और और छोटी साली को गिरफ्तार किया था। अमित सोनी ने कुंती की बड़ी बेटी अनीता से लव मैरिज की थी। इसके बाद दोनों खरमोरा अटल आवास में ससुराल के पास ही रहते थे। अमित आदतन बदमाश था और आए दिन मारपीट, चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देता रहता था। कई बार अमित आपराधिक मामलों में पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था। उसकी पत्नी अनीता उसकी हरकतों से परेशान थी और कुछ साल साथ रहने के बाद वो किसी और के साथ चली गई थी। जिसके बाद वो ससुराल के सामने रोज जाकर आतंक मचाता था। उसकी सास और साली के साथ गालीगलौज करता था जिससे तंग आकर उसकी सास ने उसकी डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने साली को भी आरोपी बनाया था, लेकिन कोर्ट में उस पर आरोप सिद्ध नहीं हो सका, लिहाजा उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया है। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी ज्योति अग्रवाल के न्यायालय में फैसला सुनाया गया।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईजर श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुरे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् उक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU